

विधान सभा प्रश्न

|                        |   |                                 |
|------------------------|---|---------------------------------|
| विभाग का नाम           | : | कार्मिक                         |
| प्रश्न संख्या तारांकित | : | 2985                            |
| उत्तर की तिथि          | : | 10-09-2020                      |
| विषय                   | : | सर्टिफिकेट                      |
| प्रश्नकर्ता का नाम     | : | श्री प्रकाश राणा (जोगिन्द्रनगर) |
| सम्बन्धित मन्त्री      | : | मुख्य मन्त्री                   |

| प्रश्न  | उत्तर  |
|---|--|
| (क) यह सत्य है कि विभिन्न सरकारी विभागों में रोज़गार प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाईन फार्म व सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं ; और   | (क) तथा (ख) :<br><br>सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। |
| (ख) यह सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट की सुविधा न होने के कारण सर्टिफिकेट बनवाने में परेशानी होती है ; यदि हां, तो सरकार विकल्प के तौर पर ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी करने का विचार रखती है ? |  |

श्री प्रकाश राणा (जोगिन्द्रनगर) द्वारा "सर्टिफिकेट" विषय पर पूछा गया तारांकित विधान प्रश्न 2985 से सम्बन्धित उत्तर:—

- (क) सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आवेदन केवल ऑनलाईन जबकि सर्टिफिकेट/अन्य दस्तावेज ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनों माध्यम से लिए जा रहे हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रमाण पत्रों के बिना आमन्त्रित किए जाते हैं तथा लिखित परीक्षा के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों से ही मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सम्बन्धित दस्तावेज लिए जाते हैं।
- (ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित/नियुक्त कर रखे हैं जिनमें एस0डी0एम0 या तहसीलदार भी शामिल हैं।

.....